

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कन्धरापुरगोवध के 06 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 20.10.2023 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक पर लदे गोवंश के साथ चकबिजली मोड़ के पास से अभियुक्तगण 1.अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना निवासी मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2.सलाऊद्दीन पुत्र तौहीन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. जुम्मन पुत्र जुल्फन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 4. छोटू पंडित पुत्र अज्ञात निवासी ककरापार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 5. मंसूर पुत्र अनवर निवासी मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 6.ट्रक के मालिक नाम पता अज्ञात गिरफ्तार किया गया, के सम्बन्ध में थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 294/23 धारा-3/85ए/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 420/467/468/471 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1.अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना आदि 06 नफर पंजीकृत किया गया।

श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गैंग चार्ट पर दिनांक 20.06.2024 को अनुमोदित किया गया है जिसके क्रम में दिनांक 28.06.2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/24 धारा धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट. बनाम-1. अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2.छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ग्राम ककरापार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 3.मंसूर पुत्र अनवर निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ 4.सुनील यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 5. जुम्मन पुत्र जुल्फन निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 6.सलाऊद्दीन पुत्र तौहिद निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना उम्र-32 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0-294/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनीयम व 11 पशु क्रूरता अधिनीयम व धारा 420/467/686/471 भादवि थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0-295/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 03/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 4.मु0अ0सं0- 121/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 5.मु0अ0सं0-139/2019 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनीयम थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 6.मु0अ0सं0221/2022 धारा 3(1) यु0पी0 गै0एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

अभियुक्त छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी

1. मु0अ0सं0-294/2023धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0-35/2024 धारा-174ए भादवि थाना कन्धरापुर
3. मु0अ0सं0-261/2021 धारा-323/504/506 भादवि जहांगीरगंज/अम्बेडकरनगर
4. मु0अ0सं0-304/2020 धारा-323/354/506 भादवि व 3(1)द ,3(1)ध SC/ ST एक्ट जहांगीरगंज/अम्बेडकरनगर
- 5.मु0अ0सं0-98/2020 धारा- 60 आब0 अधि0 जहांगीरगंज/अम्बेडकरनगर

अभियुक्त मंसूर पुत्र अनवर निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया आजमगढ़

1. मु0अ0सं0-294/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि कन्धरापुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 005/2017 धारा-147/323/504/325 भादवि व 3(1)(10) SC/ ST एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0-364/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट अतरौलिया/आजमगढ़

अभियुक्त सुनील यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

- 1 मु0अ0सं0- 294/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर
- 2.मु0अ0सं0-35/2024 धारा 174ए भादवि थाना कन्धरापुर/आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-130/2021धारा-341/504/506 भादवि थानाअहरौला /आजमगढ़

थाना सिधारी

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त ने गलत पता देकर बनवाया था डीएल

पूर्व की घटना

दिनांक- 30.05.2016 को वादी मुकदमा बृजेन्द्र कुमार सिंह निवासी 1041 महानगर थाना महानगर लखनऊ द्वारा थाना महानगर लखनऊ में सूचना दिया गया कि आटो नं0- UP32BN9251 के चालक की लापरवाही के कारण आटो दुर्घटना ग्रस्त हो गयी जिसमें बैठे उनके बड़े भाई अशोक कुमार सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। आटो में बैठे अन्य लोग भी गम्भीर रूप से घायल हो गये। जिसके आधार पर थाना महानगर लखनऊ में मु0अ0सं0- 202/2016 धारा 279/304ए/337/338 भादवि बनाम आटो चालक अज्ञात आटो नं0- UP32BN9251 के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 महेश चन्द पाण्डेय द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। दौरान विवेचना आटो चालक राकेश कुमार पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी सैदपुर खुर्द थाना बघौली जिला हरदोई हालपता नियर सूर्या धर्म कांट तकरोही बाजार इन्दिरा नगर लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। दौरान विवेचना आटो चालक राकेश कुमार पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी सैदपुर खुर्द थाना बघौली जिला हरदोई हालपता नियर सूर्या धर्म कांटा तकरोही बाजार इन्दिरा नगर लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। बाद में विवेचना अपराध शाखा लखनऊ को सुपुर्द हुई।

➡आटो चालक राकेश कुमार द्वारा अपना डीएल- UP5020060028511 प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच विवेचक द्वारा आरटीओ आफिस आजमगढ़ से कराया गया तो उक्त डीएल फर्जी पाया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उक्त को धारा 304 भादवि व 3/181/194/180 मोटरयान अधिनियम में तरमीम किया गया।

➡फर्जी डीएल आरटीओ आफिस आजमगढ़ से तैयार किया जाने के सम्बन्ध में तत्कालिन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ बालकृष्ण पाण्डेय पुत्र लोकनाथ पाण्डेय निवासी 766A बाघम्भरी गद्दी अल्लापुर थाना जार्जटाउन जनपद प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक 16/ए0आर0टी0ओ0/सा0प्र0/2017, दिनांक 07 जनवरी 2017 के माध्यम से थाना सिधारी पर सूचना दिया गया कि फर्जी लाइसेंस अभिलेख तैयार करके दिनांक 16.07.2016 को फर्जी बैकलाग फीडिंग करके लाइसेंस की कम्प्यूटरीकृत द्वितीय प्रति जारी कर दी गयी है। उक्त फर्जी लाइसेंस को इस कार्यालय आदेश संख्या 1467/सा0प्र0/लाइसेंस निरस्त/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कम्प्यूटर में उपलब्ध अभिलेखानुसार लाइसेंस की फीडिंग टी0एस0आर0 डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड जानकीपुरम, लखनऊ के वेण्डर सन्दीप यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव, निवासी एकडंगी पोस्ट कोयलसा, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा की गयी है।

➡फर्जी अभिलेख तैयार कराने के सम्बन्ध में राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश, निवासी सैदपुर खुर्द मस्ती बारदोई (हरदोई) वर्तमान पता बिलरियागंज आजमगढ़ के विरूद्ध तथा इसमें सहयोग करने एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करके कम्प्यूटर में फीडिंग करने के सम्बन्ध सन्दीप यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव निवासी एकडंगी पोस्ट कोयलसा, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही करने की कृपा करें। नियुक्त किये गये वेण्डर के कार्य के प्रति टी0एस0आर0 डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड जानकीपुरम, लखनऊ भी जिम्मेदार है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 140/2017 धारा 419/420/467/468 भादवि बनाम राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश, निवासी सैदपुर खुर्द मस्ती बारदोई (हरदोई) वर्तमान पता बिलरियागंज आजमगढ़ व सन्दीप यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव निवासी एकडंगी पोस्ट कोयलसा, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उक्त में धारा 65/66 आईटी एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त राकेश कुमार उपरोक्त का नाम पता तस्दीक न होने के कारण मुकदमा उक्त में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 को प्रेषित किया गया था।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र दिनांक मई 09, 2024 के आदेश पर मुकदमा उक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 173(8) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत किये जाने के लिए थाना प्रभारी सिधारी को आदेशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक सिधारी के आदेश के क्रम में मुकदमा उक्त की अग्रिम विवेचना निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.06.2024 को निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उक्त में नामित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी सैदापुर खुर्द पोस्ट मसीद थाना बघौली जनपद हरदोई हाल पता 11/653 सेक्टर- 11 इंदिरा नगर लखनऊ उम्र करीब 47 वर्ष को आरटीओ आफिस के पास सर्वोदय स्कूल के गेट के पास सड़क के किनारे से मुखबिर के सूचना पर समय 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं आटो चलाता हूँ, मुझसे लखनऊ में एक एकसीडेन्ट हो गया था तो उस मुकदमें में डीएल लगाने के लिए मैं लखनऊ जिले में डीएल बनवाने के प्रयास किया लेकिन नहीं बन पाया तो आजमगढ़ जिले से अपना डीएल एक दलाल के माध्यम से बनवाया था उस दलाल का नाम पता मैं नहीं जानता हूँ। मेरे एक परिचित मुझसे डीएल बनवाने के कहे तो मैं उसी के सिलसिले में आज आजमगढ़ आया था। मैं मूल निवासी हरदोई जिले का हूँ। मैं आजमगढ़ का गलत पता देकर उस समय अपना डीएल बनवाया था।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0- 202/2016 धारा 304 भादवि व 3/181/194/180 मोटरयान अधिनियम थाना महानगर लखनऊ

2.मु0अ0सं0-140/2017 धारा 419/420/467/468 भादवि व 65/66 आईटी एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी सैदापुर खुर्द पोस्ट मसीद थाना बघौली जनपद हरदोई हाल पता 11/653 सेक्टर- 11 इंदिरा नगर लखनऊ उम्र करीब 47 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.नि0अ0 अनुराग कुमार मय हमराह.उ0नि0प्र0 प्रमोद मन्देशिया थाना सिधारी आजमगढ़